

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

किरण लखन मंडल

7/5

झारखण्ड राज्य सरकार

सं०- 24/2025-26 (LRDC, बेरमो (तेनुघाट) के अपील वाद सं० 65/2025-26 से उद्धरित)

आदेश का प्रकार- विविध वाद (नामांतरण)

क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

14/06/25

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के नामांतरण अपील वाद सं०- 65/2025-26 में दिनांक- 06.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में आवेदिका किरण लखन मंडल पति लखन मंडल, ग्राम- छोटकी चिदरी, पो०- कोनार डैम, थाना- चतरोचट्टी, जिला- बोकारो के द्वारा नामांतरण वाद सं०- 376/2019-20 स्वीकृति करते हुए प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	आवेदित रकवा (प्लॉटवार क्रमशः)
पलिहारी गुरुडीह	99	911	2.75 एवं 1.62 डीसमील

अभिलेख दिनांक 18/06/2025 को उपस्थापित करे।

18/06/25
अंचल अधिकारी,
गोमिया।

18/06/25

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित है।
अपेक्षित है कि अन्य शर्तों में उक्त रकबे के आलोक
न्यायालय शर्तों नहीं है। तारीख 18/06/2025

18/06/25
अंचल अधिकारी
गोमिया।

1

2

20/06/25

अभिलेख उपलब्धता विषयी अनुपस्थिति
प्रश्नगत बुकि के संदर्भ में संबंधित राजस्व उप
निरीक्षक से प्रतिक्रिया की मांग की।
अभिलेख दिनांक - 25/06/2025 को रखे।

25/06/25


अंचल अधिकारी

अभिलेख उपलब्धता विषयी अनुपस्थिति
संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जॉन प्रतिक्रिया
अप्राप्त है। दिनांक 02/07/2025

02/07/25


अंचल अधिकारी

अभिलेख उपलब्धता संबंधित राजस्व
उप निरीक्षक से जॉन प्रतिक्रिया प्राप्त है। जिसमें
उल्लेख किया जाता है कि प्रस्ताव तलॉट
में पत्राचार रूकवा है। इस बाद में अब तक
मिती के डाटा में अप्रति प्राप्त नहीं है।
अतः आवेदन के आवेदन पत्र को
स्वीकृत किया जाता है एवं बाद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।


अंचल अधिकारी